

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2566 / 150505
सेवा में,

दिनांक 25/9 / 2018

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषय:-

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.442 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/214/2015/एफ0सी0/1775 दिनांक 25.01.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न-

सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय

पत्रांक 2566

150505 / तददिनांक

o/c

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रतिलिपि-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-

जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.442 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/२१४/२०१५/एफ०सी०/१७७५ दिनांक २५.०१.२०१८ द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या


उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तों बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

- 1- शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.884 हे० ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 803670.00 मात्र (रू० आठ लाख तीन हजार छः सौ सत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं० 000000472470180 दिनांक 09.11.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.884 हे० ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० 166/छब्बीस-17वन/2017-18 दिनांक 12.06.2018 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रांक-294/२०का०/वन भू०ह०/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण /नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
- 2- शर्त सं० 2 के अनुपालन में रू० 947394.00 (रू० नौ लाख सैतालीस हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) एन०पी०वी० की धनराशि भुगतान UTR नं० 000000472470180 दिनांक 09.11.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।
- 3- शर्त सं० 3 के अनुपालन में सक्षम स्तर से एन०पी०वी० की दरें में बढोत्तरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्धता पहले ही प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।
- 4- शर्त सं० 4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियों RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू०टी०आर० की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
- 5- शर्त सं० 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 6- शर्त सं० 6 प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति एवं भारत सरकार से भूमि हस्तान्तरण आदेश जारी कराने की कृपा करें।


संलग्न-

- (1) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 12.06.2018 की प्रति।
- (2) तहसीलदार बागेश्वर के पत्र दिनांक 19.06.2018 खतोनी की प्रति सहित।
- (3) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
- (4) शासनादेश की प्रति संलग्न है।
- (5) प्रमाण पत्र।
- (6) एन०पी०वी० बिल की प्रमाणित प्रति।


अधिकासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में बोहाला से नदीगॉंव तक मोटरमार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.442 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 2.884 है0 जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र,लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4644 रकवा 13.313 है0 मध्ये 2.884 है0, भूमि जो श्रेणी 9 (3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(1)2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/06/214/2015/एफ0सी0/1775 दिनांक 25.01.2018 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

संख्या - 66/ छब्बीस - 17-वन / 2017-18 दिनांक 12/6 / 18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- उपजिलाधिकारी, कपकोट ।
- 3- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/ नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

व्ययुक्ति (सहायक)

15/06/18

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Photo Copy Attested


Assistant Engineer
Bageshwar

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या-294/र०का०/वन भू०ह०/2018 दिनांक/19 जून, 2018

सेवा में,

प्रमाणीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।



विषय-

जनपद बागेश्वर में बोहाला से नंदीगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 1.442 है० की दुगुनी अवनत भूमि 2.884 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या- 166/छब्बीस- 17 वन/2017-18 दिनांक 12/6/18 के अनुपालन में ग्राम दुलम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 47 के पैमायशी खेत नं० 4644 रकवा 13.313 है० मध्ये 2.884 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :-

- (1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- (2) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी नकल प्रेषित।

वन भू० ह०

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
D.P.W.D Bageshwar

तहसीलदार
कपकोट।

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 24-08-2018	
Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6112464683
MoE/SG File No.	8B/UCP/06/214/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	1751064/-
Amount In Words :Seventeen Lakh Fifty-One Thousand and Sixty-Four Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details:	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112464683 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block T1, LCO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days. 	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Photo Copy Attested

Assistant Engineer

P.D.P.W.D Bageshwar

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 24-08-2018	
Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6112464683
MoE/SG File No.	8B/UCP/06/214/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	1751064/-
Amount In Words :Seventeen Lakh Fifty-One Thousand and Sixty-Four Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details:	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112464683 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block T1, LCO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days. 	

भारत सरकार

राज्यीकरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650009
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.dhr@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASHI ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650009
FAX- 0135-2653010
Email- moef.dhr@gov.in

पत्र सं 06बी/यूसीओपी/06/214/2015/एफओसी/1115

दिनांक: 25/01/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.442 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 682/X-4-15/1(388)/2015 दिनांक 06.08.2015
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/12464/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.442 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-


1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.884 हे० ग्राम-दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षांशण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बकी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA east, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit an undertaking that number of plants to be planted over CA land shall be at least 1000 plants per ha and if requisite number of plants @1000/ha cannot be planted on the Civil Soyam land identified for CA then balance number of plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of Working Plan. The State Govt. will intimate to this office the name of R/P/PF in which the balance seedling will be planted.


ज. स. सिंह

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण व्यय बहन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


सहायक अभियंता
प्रांतीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर




अधिरासी अभियंता
प्रांतीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

Photo Copy Attested


Assistant Engineer
P.O. P.W. D Bageshwar

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता रेजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P/O P.W.D Bageshwar

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

अधिशाली अभियंता
बागेश्वर जन पथार, बागेश्वर